न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 139 / 2024(GCMS : 2024/203)**

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय – 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **रविन्द्र सिंह** पुत्र श्री नत्था सिंह निवासी वार्ड नं. 6, 25 एलजीडब्ल्यूबी जिला श्रीगंगानगर पिन –335804
2. **नत्थ सिंह** पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी वार्ड नं. 6, 25 एलजीडब्ल्यूबी सरदारपुरा बीका जिला श्रीगंगानगर पिन –335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हुआ है। अब प्रार्थी बैंक की ओर से विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण रविन्द्र सिंह एवं नत्था सिंह द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नत्था सिंह की अचल **सम्पत्ति पट्टा नं. 25, बुक नं. 324 / 2018, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 125 फीट जिसका आसापासा पूर्व में नायब सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में रणजीत सिंह की सम्पत्ति, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में हंसराज की सम्पत्ति है, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2024 को प्रस्तुत किया गया है। अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाई नहीं चाहता है अर्थात **नॉट प्रैस करता है** और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण रविन्द्र सिंह एवं नत्था सिंह के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज में नत्था सिंह की अचल **सम्पत्ति पट्टा नं. 25, बुक नं. 324/2018, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर साईज 30 गुणा 125 फीट जिसका आसापासा पूर्व में नायब सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में रणजीत सिंह की सम्पत्ति, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में हंसराज की सम्पत्ति है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर